फर्द अहकाम

के.के. मालवीय बनाम कलेक्टर

ACEM (F.T) शाहपुरा

39/78 धारा (137/13) 97/2016

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/4/16	नकलें एक पक्ष उप.(शा.पत्र I पर बकस के वकील प्रत्यर्थी उपस्थित होते हैं। श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार श्रीमा० 500 करोड़ रुपये के दावे की पत्रावली स्थानान्तरण की जाती है। पत्रावली वास्ते बकस I दिनांक 9-6-16 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम) शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)	
30/11	आज यह पत्रावली नायब तहसीलदार शाहपुरा के स्थान से उप न्यायालय कलक्टर जयपुर की अदालत कैम्प कोठी मनोहरपुर में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं। अतः नियत है।	
	मूल पत्रावली पर दर्ज दावा के बिन्दु I, II, III पर विचार करने से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता कोई कार्यवाही नहीं है। अतः निर्णय एवं डिक्री पृथक पृथक ही लिखा जावेगा।	
	दावेदार की पक्ष के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा व अन्तरिम आदेश दि. 24.2.00 को ता. कलक्टर द्वारा स्थाई किया जाकर पत्रावली मुकदमा के निस्तारण रहे।	
	(रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	

Scanned with CamScanner